



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

-:आदेश:-

आदेश संख्या: SHSB/PM/567/2020-3378

पटना, दिनांक 01-09-2023

विषय: राज्य के नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की सरकारी अस्पताल में आवश्यकता आधारित उपलब्धता सुनिश्चित करने, औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने की संभावना को न्यून करने एवं तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों के विनष्टीकरण संबंधी दिशा निर्देश।

राज्य के सरकारी अस्पतालों में नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सरकारी अस्पतालों में औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की उपलब्धता को बेहतर एवं निरन्तर बनाये रखने, औषधियों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने, औषधियों के क्रय की नीति का निर्धारण, जेनेरिक औषधि प्रेस्क्राइव करने, आवश्यक औषधियों की सूची (Essential Drugs List- EDL) जारी करने, आवश्यक औषधियों/शल्य सामग्रियों का भंडार प्रबंधन एवं आपूर्ति श्रृंखला को स्वचालित (automate) करने हेतु DVDMS Software के क्रियाशीलन आदि संबंधी निदेश समय-समय पर निर्गत किये गये हैं। विगत वर्षों में आवश्यक औषधियों की संख्या एवं औषधियों की आपूर्ति एवं खपत में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप कालातीत एवं क्षतिग्रस्त औषधियों के निस्तारण/विनष्टीकरण के संदर्भ में विभिन्न स्तरों से स्पष्ट दिशा-निर्देश की अपेक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि औषधियों एवं अपशिष्ट के निस्तारण/विनष्टीकरण के संदर्भ में Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 का अधिनियमन हुआ है। फलतः वर्तमान परिदृश्य में कालातीत औषधियों के निस्तारण के संबंध में पूर्व में निर्गत स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 15/औ.22-46/95-1271(15), दिनांक 13.08.1996 के प्रावधानों को अवक्रमित करते हुये नई नीति/दिशा-निर्देश का सूत्रण किया जाना आवश्यक है। नीति का सूत्रण निम्नवत् है :-

2. तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने की संभावना को न्यून (Minimize) करने के संबंध में दिशा-निर्देश:- औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने की संभावना को न्यून (Minimize) करने के उद्देश्य से निम्न उपाय किये जाए :-

(A) औषधियों की आवश्यकता का आकलन एवं अधियाचना करने की नीति :-

- सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित EDL की सभी प्रकार की औषधियों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु औषधियों की आवश्यकता आधारित आकलन एवं अधियाचना करने का दायित्व स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का है। इस हेतु विगत वर्ष में औषधियों की हुई खपत, अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि, मरीजों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधाओं एवं क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के प्रसार/प्रबलता के आधार पर औषधियों की आवश्यकता का आकलन करते हुये अधियाचना किया जाए। औषधियों की आवश्यकता के आकलन की प्रक्रिया को मानक, सटीक एवं पारदर्शी बनाया जाए।

- ii) DVDMS के माध्यम से दवा, चिकित्सीय सामग्री, रिजेंट इत्यादि की त्रैमासिक आवश्यकता का आकलन करते हुये अध्याचना निम्नवत् किया जाय (विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या 654(12), दिनांक 26.07.2021):-

क्र०सं०	माह का नाम, जिस हेतु अध्याचना की जानी है	अध्याचना किये जाने की अवधि
1	अप्रैल, मई, जून	01 - 10 जनवरी
2	जुलाई, अगस्त, सितम्बर	01 - 10 अप्रैल
3	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	01 - 10 जुलाई
4	जनवरी, फरवरी, मार्च	01 - 10 अक्टूबर

- iii) सभी स्वास्थ्य संस्थान आपूर्ति प्राप्त सभी औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों (जिला/स्थानीय स्तर पर कय किये गये औषधियों सहित) की प्रविष्टि DVDMS पोर्टल में करना सुनिश्चित करेंगे।

(B) औषधियों का रखरखाव :-

- (i) औषधियों को उनके लेबल पर अंकित दिशा-निर्देशों एवं औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के Schedule 'P' में उल्लेखित भंडारण शर्त (Storage Condition) के अनुसार समुचित तापक्रम पर भंडारित किया जाय।
- (ii) Near Expiry औषधियाँ, जिनकी तिथिवसान की अवधि छः माह से कम रह गयी हो, को मुख्य स्टॉक से अलग स्थान पर Separate shelves में Yellow Colour coding के साथ संधारित किया जाय। साथ ही, मुख्य स्टॉक एवं Yellow Colour stock shelve की समुचित indexing की जाय, ताकि दवाओं के वितरण में कोई कठिनाई नहीं हो।
- (iii) पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं/अथवा कालातीत हो चुके औषधियों को मुख्य स्टॉक से अलग निर्धारित स्थान/कमरा में कॉर्टन में रखा जाये एवं कॉर्टन के ऊपर लाल स्याही से "Expired drugs, Not for Use" अथवा "Damaged drugs, Not for Use" स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।
- (iv) औषधियों का वितरण "प्रथम अवसान (First Expire) - प्रथम बहिर्गमन (First Out)" अर्थात् FEFO के आधार पर करें। जिन वस्तुओं में अवसान की तिथि नहीं हो, उन्हें "FIFO (First in First Out)/ पहले आया-पहले गया" के अनुसार वितरित करें।
- (v) स्वास्थ्य संस्थानों के दवा वितरण केन्द्र से मरीजों को वितरित औषधियों की तत्काल (Real Time Entry) प्रविष्टि 'भव्या पोर्टल' पर कराना सुनिश्चित किया जाय।

(C) Near Expiry Stock of Drugs के संदर्भ में DVDMS के माध्यम से अलर्ट :-

निकट भविष्य में तिथिवाद होने वाली औषधियों का समय पूर्व सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से DVDMS के माध्यम से सभी संबंधित संस्थान के निदेशक / अधीक्षक / उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / अस्पताल प्रबंधक / प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक / फार्मासिस्ट / भंडारपाल को BMSICL द्वारा एसएमएस/वाट्सऐप/ई-मेल के माध्यम से निम्नरूपेण अलर्ट जारी किया जायेगा -

क्रम सं.	तिथिवाद होने की शेष अवधि	अलर्ट की संख्या
1	छः माह शेष रहने पर	प्रथम अलर्ट
2	तीन माह शेष रहने पर	दूसरा अलर्ट
3	एक माह शेष रहने पर	तीसरा अलर्ट
4	अंतिम माह	प्रत्येक सप्ताह अलर्ट

(D) **Near Expiry Stock of Drugs का जिलान्तर्गत अंतर-स्वास्थ्य संस्थानों में हस्तांतरण (Inter**

facility stock transfer) :-

अपरिहार्य कारणों से दवाओं की खपत नहीं होने की स्थिति में यदि भंडारित दवाओं का तिथिवसान की अवधि तीन माह रह गयी हो तथा इसके तिथिवसान के पूर्व खपत की संभावना नहीं हो तो माह के 1 से 5 तारीख तक इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन को दी जायेगी तथा उसी माह के 10 तारीख तक सिविल सर्जन द्वारा ऐसे Near Expiry Stock of Drugs का जिलान्तर्गत अंतर-स्वास्थ्य संस्थानों में हस्तांतरण (Inter facility stock transfer) सुनिश्चित किया जायेगा।

(E) **Near Expiry Stock of Drugs का अंतर्जिला हस्तांतरण (Inter district stock transfer) :-**

(i) यदि अपरिहार्य कारणों से Near Expiry औषधियाँ, जिनकी अवसान तिथि तीन माह रह गई हो, की खपत की संभावना अवसान तिथि के पूर्व जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में नहीं हो तो सिविल सर्जन के द्वारा माह के 10 तारीख तक स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों से उक्त औषधियों को स्वास्थ्य संस्थानों से वापस कराते हुये उसका भंडारण जिला औषधि भंडार में किया जायेगा एवं इसकी सूचना उसी दिन BMSICL को दी जायेगी ताकि उक्त औषधियों के अंतर्जिला हस्तांतरण (Inter district stock transfer) आदि के निमित्त सभी अनुवर्ती कार्रवाई BMSICL द्वारा की जा सके।

(ii) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं अतिविशिष्ट अस्पताल के स्तर पर यदि अपरिहार्य कारणों से Near Expiry औषधियाँ, जिनकी अवसान तिथि तीन माह रह गई हो, की खपत की संभावना अवसान तिथि के पूर्व नहीं हो तो अधीक्षक/निदेशक के द्वारा माह के 10 तारीख तक स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए इसकी सूचना उसी दिन BMSICL को दी जायेगी ताकि उक्त औषधियों के अंतर्जिला हस्तांतरण (Inter district stock transfer) आदि के निमित्त सभी अनुवर्ती कार्रवाई BMSICL द्वारा किया जा सके।

(iii) उपर्युक्त दोनों स्तरों पर उपलब्ध Near Expiry Drug को BMSICL द्वारा DVDMS पर औषधियों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त अधियाचना एवं स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध भंडारण के आधार पर अन्य जिलों / चिकित्सा महाविद्यालय को हस्तांतरित किया जायेगा। संबंधित जिला / चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को BMSICL से उक्त औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करना बाध्यकारी होगा।

3. **तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों का निस्तारण :-**

सरकारी अस्पतालों के निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पदस्थापित सी०एच०ओ०/ ए०एन०एम० का दायित्व होगा कि आपूरित औषधियों/सामग्रियों का समुचित सदुपयोग सुनिश्चित हो सके और किसी भी परिस्थिति में औषधियों/सामग्रियों का दुरुपयोग, नष्ट एवं तिथिवाद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाये। अपवाद की स्थिति में तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों को चिन्हित करने एवं नियमानुकूल कार्रवाई/निस्तारण हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् कमिटी का गठन किया जाता है :-

(A) **BMSICL के रीजनल वेयरहाउस स्तर पर :-**

(i) प्रबंध निदेशक, BMSICL द्वारा नामित प्रतिनिधि

- अध्यक्ष

(ii) सहायक औषधि नियंत्रक

- सदस्य



- | | | |
|--|---|--------|
| (iii) संबंधित क्षेत्र के औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| (iv) प्रबंधक, रिजनल वेयरहाउस, BMSICL | - | संयोजक |
| (v) रिजनल वेयरहाउस के फार्मासिस्ट | - | सदस्य |

(B) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/अतिविशिष्ट अस्पताल स्तर पर :-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक/निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल | - | अध्यक्ष |
| (ii) अस्पताल के केन्द्रीय औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | संयोजक |
| (iii) सहायक औषधि नियंत्रक | - | सदस्य |
| (iv) संबंधित क्षेत्र के औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| (v) अस्पताल प्रबंधक | - | सदस्य |
| (vi) अस्पताल के केन्द्रीय औषधि भंडार के फार्मासिस्ट | - | सदस्य |

(C) जिलान्तर्गत विभिन्न औषधि भंडार स्तर पर -

1 जिला औषधि भंडार -

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| (ii) जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | संयोजक |
| (iii) सहायक औषधि नियंत्रक | - | सदस्य |
| (iv) संबंधित क्षेत्र के औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| (v) जिला औषधि भंडार के फार्मासिस्ट /भंडारपाल | - | सदस्य |

2 सदर अस्पताल स्तर पर-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) अधीक्षक/उपाधीक्षक | - | अध्यक्ष |
| (ii) औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| (iii) सहायक औषधि नियंत्रक | - | सदस्य |
| (iv) क्षेत्र के औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| (v) अस्पताल प्रबंधक | - | सदस्य |
| (vi) स्वास्थ्य संस्थान के फार्मासिस्ट /भंडारपाल | - | संयोजक |

3 अनुमंडलीय, रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| (ii) क्षेत्र के औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| (iii) अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - | सदस्य |
| (iv) स्वास्थ्य संस्थान के फार्मासिस्ट /भंडारपाल | - | संयोजक |

4. उपर्युक्त कमिटी तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों की सूची वांछित विवरणी के साथ निम्न प्रपत्र में DVDMS पर तैयार करेगी। तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त दवाओं (Batch Number wise) का DVDMS पोर्टल के साथ मिलान कर औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारणों का भी उल्लेख निम्न प्रपत्र में कमिटी द्वारा किया जायेगा।

Sl. No	Name of the Drug	Batch No.	Mfg. Date	Exp. Date	Total quantity of Drug received/ purchased	Date of receipt/ purchase of Drug	Quantity of Expired/Damaged Drug			Reason of expiry/ damage
							Expired		Quantity of Damaged Drug	
							Quantity of Actually Expired Drug	Stock as displayed "Expired" on DVDMS Portal		

Q

5. स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर गठित कमिटी का दायित्व एवं विनष्टिकरण की प्रक्रिया:-

- i. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर उपलब्ध तिथिवाद/क्षतिग्रस्त औषधियों की Inventory (कंडिका 4 में निहित विहित प्रपत्र में) तैयार कर Inventory सहित तिथिवाद/क्षतिग्रस्त औषधियों को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा जायेगा।
- ii. सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, गठित कमिटी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 5(i) में अंकित संस्थानों से प्राप्त एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भंडार में उपलब्ध तिथिवाद/क्षतिग्रस्त औषधियों को चिन्हित कर कंडिका 4 में निहित विहित प्रपत्र में अनिवार्य सूचनाओं की प्रविष्टि DVDMS में किया जायेगा। कमिटी उक्त तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों के Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 के प्रावधानान्तर्गत विनष्टिकरण हेतु Common Biomedical Waste Treatment Facility के अनुबंधित एजेन्सी को हस्तगत करायेगी और संबंधित एजेन्सी से विनष्टिकरण प्रमाण-पत्र (Destruction Certificate) प्राप्त करेगी।
- iii. BMSICL के रिजनल वेयरहाउस, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, अतिविशिष्ट अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल स्तर पर गठित कमिटी भी भंडार में उपलब्ध तिथिवाद/क्षतिग्रस्त औषधियों को चिन्हित कर उपर्युक्त कंडिका 4 में निहित विहित प्रपत्र में अनिवार्य सूचनाओं की प्रविष्टि डीवीडीएमएस में करते हुए उक्त औषधियों के Bio Medical waste Management Rules, 2016 के प्रावधानान्तर्गत विनष्टिकरण हेतु Common Biomedical Waste Treatment Facility के अनुबंधित एजेन्सी को हस्तगत करायेगी और संबंधित एजेन्सी से विनष्टिकरण प्रमाण-पत्र (Destruction Certificate) प्राप्त करेगी।
- iv. तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त औषधियों के विनष्टिकरण हेतु Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 के Schedule IV के प्रावधानान्तर्गत पैकेजिंग एवं Common Biomedical Waste Treatment Facility के अनुबंधित एजेन्सी को हस्तगत करने की जिम्मेवारी संबंधित औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं भंडारपाल/फार्मासिस्ट/BMSICL के रिजनल वेयरहाउस के प्रबंधक की होगी।
- v. Common Biomedical Waste Treatment Facility के अनुबंधित एजेन्सी द्वारा विनष्टिकरण के पश्चात् विनष्टिकरण प्रमाण-पत्र (Destruction Certificate) सभी संबंधित संस्थान के निदेशक / अधीक्षक / उपाधीक्षक / सिविल सर्जन / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे डीवीडीएमएस में अपलोड किया जायेगा।
- vi. विभिन्न स्तरों पर गठित समिति द्वारा औषधियों के वास्तविक रूप से तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारणों के विवेचनोपरांत यह तय किया जायेगा कि औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण Justified है अथवा नहीं। यदि समिति के द्वारा औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण Unjustified पाया जाता है तो अनावश्यक रूप से तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त हुई औषधियों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करेगी।
- vii. सिविल सर्जन, अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल द्वारा प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर औषधियों के तिथिवाद अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारणों की आंतरिक समीक्षा कर सुझावों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

viii. इसी प्रकार सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक द्वारा भी अपने प्रमंडलन्तर्गत जिलों के सिविल सर्जन से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर समीक्षा कार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

6. औषधियों के विनष्टिकरण से संबंधित Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 का प्रासंगिक प्रावधान निम्नवत् है :-

Schedule I
[See rules 3(e), 4(b), 7(1), 7(2), 7(5), 7(6) and 8(2)]
Part-I

Biomedical wastes categories and their segregation, collection, treatment, processing and disposal options

Category	Type of Waste	Type of Bag or Container to be used	Treatment and Disposal options
1	2	3	4
Yellow	(a) (b) (c) (d) Expired or Discarded Medicines: Pharmaceutical waste like antibiotics, cytotoxic drugs including all items contaminated with cytotoxic drugs along with glass or plastic ampoules, vials etc.	Yellow coloured non-chlorinated plastic bags or containers	Expired cytotoxic drugs and items contaminated with cytotoxic drugs to be returned back to the manufacturer or supplier for incineration at temperature $>1200^{\circ}\text{C}$ or to common bio-medical waste treatment facility or hazardous waste treatment, storage and disposal facility for incineration at $>1200^{\circ}\text{C}$ Or Encapsulation or Plasma Pyrolysis at $>1200^{\circ}\text{C}$. All other discarded medicines shall be either sent back to manufacturer or disposed by incineration.

Cytotoxic drug vials shall not be handed over to unauthorised person under any circumstances. These shall be sent back to the manufactures for necessary disposal at a single point. As a second option, these may be sent for incineration at common bio-medical waste treatment and disposal facility or TSDFs or plasma pyrolysis at temperature $>1200^{\circ}\text{C}$.

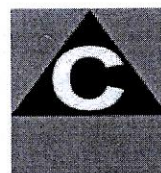
Schedule IV
[See rule 8(3) and (5)]
Part A

LABEL FOR BIO-MEDICAL WASTE CONTAINERS or BAGS

CYTOTOXIC HAZARD SYMBOL

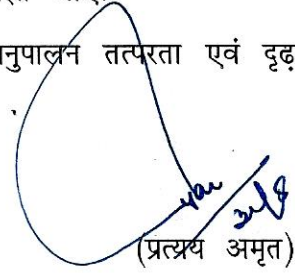


HANDLE WITH CARE



HANDLE WITH CARE

7. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य अनुषंगी स्वास्थ्य ईकाईयाँ/औषधि भंडार यथा- यक्ष्मा, मलेरिया, कालाजार, फाईलेरिया एवं अन्य कार्यक्रम भी उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों के अनुसरण में तिथिवाद/क्षतिग्रस्त औषधियों का निस्तारण/विनष्टीकरण करना सुनिश्चित करेगी।
8. कालातीत औषधियों के निस्तारण के संबंध में पूर्व में निर्गत स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 15/औ.22-46/95-1271(15), दिनांक 13.08.1996 को अवक्रमित समझा जाए।
9. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। इस आदेश का अनुपालन तत्परता एवं दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।


(प्रत्यक्ष अमृत)

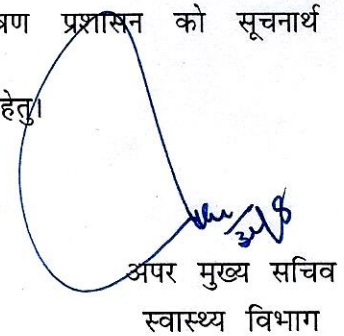
अपर मुख्य सचिव

SHSB/PM/567/2020-3378
ज्ञापंक..... पटना, दिनांक 01-09-2023

प्रतिलिपि:

1. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सभी अस्पतालों के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, रोग नियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. सभी सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।




अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग